222

-1-

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2016 R 1732-Z-16

हनुमत प्रताप सिंह पिता स्व0 श्री कीरत सिंह निवासी

रानीबाग पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 **अपीलार्थी**

बनाम्

शासन मध्यप्रदेश **उत्तरार्थीगण**

निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 8/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 5.4.2016 पारित द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश जिनके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अनावेदक की लापरवाही को आवेदक के उपर निर्धारित कर आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है से दुखित होकर।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता ।

मान्यवर,

आवेदक निम्न लिखित तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय पन्ना के समक्ष प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संयुक्त कलेक्टर पन्ना के प्रतिवेदन दिनांक 2.4.2007 पर प्रारंभ किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संयुक्त कलेक्टर पन्ना ने जांच प्रतिवेदन पेश

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 1732/-I/ 16 ..... जिला ······ पन्ना ··········

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24-5-16 | 1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग के प्र.क्र. 08 / अ–6 / 2009–10 में पारित आदेश दि. 05–04–2016 के विरूद्व म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2— आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि संयुक्त कलेक्टर पन्ना के प्रतिवेदन दि. 02.04.07 के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्व.निग. के तहत क्रयशुदा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जिसकी निगरानी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त किए जाने से निगरानी प्रस्तुत की गई है। जबकि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 1964 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1974 में 10 वर्ष पश्चात् किया गया है तथा पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार वर्ष 70–71 में प्रदान किए गए है। इस कारण अंतरण वर्ष 1980–81 के पूर्व भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात किए जाने से कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही व पारित आदेश इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है।<br>यह भी तर्क दिया है कि कलेक्टर पन्ना के समक्ष रा. प्र.क्र. 39 / अ–19 वर्ष 74–75 आदेश दिनांक 23.10.75 को निर्णय पारित कर आराजी नं. 520 / 14 के सभी काश्तकारों की पट्टा भूमि को बहाल रंखा गया है जिमसें चैतु का पट्टा भी सम्मलित है उसका कब्जा खसरा पांचसाला में दर्ज चला आ रहा है जिसकी प्रतियां निगरानी के साथ संलग्न है। इस कारण उक्त आदेश के तहत जब एक बार पट्टा वैद्य मान्य किया जा चुका है तो पुनः 2007 में कार्यवाही प्रारंभ कर यह नहीं माना जा सकता कि पट्टेदार को वंटन किया ही नहीं गया जबकि इसी खसरा नंबर 520 के पट्टेदार का जारी किया गया वंटन कलेक्टर पन्ना के स्व.निग. प्र.क्र.39 आदेश दिनांक 31.08.09 के तहत वैद्य मान्य किया है एवं अपर कलेक्टर पन्ना के स्व.निग. प्र.क्र.22 आदेश दिनांक 26.02.13 को निराकरण किया जाकरण जारी किया गया पट्टा एवं उसके द्वारा किया गया अंतरण वैद्य मान्य किया है इस आधार पर उन्होनें पारित आदेश की प्रतियां प्रस्तुत कर प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। | |

R. 1732. I/16 (पन्ना)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

3— उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वर्ष 1974 में किए गए विक्रयपत्र पर 33 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंन्डिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्या. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर पन्ना एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक 02.04.2007 के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 64 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1974 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। कलेक्टर पन्ना के प्र. क्र. 39/अ—19/74—75 आदेश दिनांक 23.10.75 के परिप्रेक्ष्य में पट्टेदार चेतु को दिया गया पट्टा वैद्य माना गया है अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर पन्ना एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्र.क्र.40/स्व.निग/08—09 पारित आदेश दि.31.08.09 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दि. 05.04.16 निरस्त किया जाता है परिणातः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है तदानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य